

## बेरोजगार भत्ता प्रपत्र

यूए1



### कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क रा बी अधिनियम, 1948 की धारा 61)



मैं \_\_\_\_\_ बीमा संख्या \_\_\_\_\_ श्री \_\_\_\_\_  
के पुत्र/पत्नी/पुत्री संलग्न यूए-2 प्रपत्र में प्रमाण पत्र के अनुसार, कारखाना/प्रतिष्ठान बंद होने, छंटनी, गैर-  
रोजगार चोट के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता के कारण बेरोजगार घोषित किया गया है। मैं तदनुसार \_\_\_\_\_ से  
\_\_\_\_\_ की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते का दावा करता हूँ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने क रा बी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त विवरण के अनुसार अवधि के लिए  
अंशदान दिया है।

देय राशि का भुगतान मेरे बैंक खाता संख्या \_\_\_\_\_, बैंक \_\_\_\_\_ शाखा  
\_\_\_\_\_, आईएफएससी \_\_\_\_\_ में किया जाए।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि :-

1. मैंने उपरोक्त अवधि के दौरान कोई लाभकारी रोजगार नहीं लिया है।
2. मुझे किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य कोई अन्य समान लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।
3. मैंने दावे की अवधि के दौरान अधिवर्षिता की आयु या 60 (साठ) वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।
4. मुझे क रा बी अधिनियम की धारा 84 के तहत दोषी नहीं ठहराया गया है।
5. रोजगार के स्वैच्छिक परित्याग, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति आदि के कारण मुझे बेरोजगार नहीं किया गया है।
6. मुझे अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत बर्खास्त/ पदच्युत नहीं किया गया है।
7. मैंने किसी भी न्यायालय में बंद होने/छंटनी को चुनौती नहीं दी है।
8. मैं एतद्वारा ईएसआईसी द्वारा मांगे जाने पर पूरी राशि का भुगतान करने का वचन देता हूँ, यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मैं उस राशि का कानूनी रूप से हकदार नहीं था।

दिनांक :

दावेदार का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

संलग्न : यूए-2

स्थायी पता \_\_\_\_\_

कारखाना/स्थापना का नाम, पता एवं कोड संख्या

महत्वपूर्ण :-

कोई भी व्यक्ति जो हितलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठा बयान देता है या अभ्यावेदन करता है, चाहे वह अपने लिए या किसी  
अन्य व्यक्ति के लिए, यह दंडनीय अपराध है, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता  
है। - या दोनों एक साथ।